सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 6 राँची, गुरुवार, 3 जनवरी, 2019 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर, 2018

झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2018

संख्या-वन क्षे०पदा० (स्था०)-25/2005- 5052-- रांची, दिनांक-17-12-2018 ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के राज्यपाल वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं इसके सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

भाग-I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-
   (1) यह नियमावली ''झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा(भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2018'' कहलायेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (3) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ:- इस नियमावली में जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो-

(**i**) ''सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार एवं 'विभाग' से अभिप्रेत है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार।

(**ii**) ''आयोग'' से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग।

(**iii**) ''सेवा के सदस्य'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियुक्त व्यक्ति और इसमें वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर पहले से कार्यरत व्यक्ति भी शामिल होंगे।

(**iv**) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018.

(**v**) ''प्रधान मुख्य वन संरक्षक'' से अभिप्रेत है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित एवं ''वन बल के प्रमुख'' के रूप में कार्यरत पदाधिकारी।

(**vi**) ''मुख्य वन संरक्षक'' से अभिप्रेत है, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, या मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष अन्य पदाधिकारी।

(**vii**) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल।

(**viii**) ''सेवा'' से अभिप्रेत है झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा, जो राज्य सेवा होगी।

(**ix**) ''संवर्ग''से अभिप्रेत है वन क्षेत्र पदाधिकारी का संवर्ग।

भाग-II

झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा में नियुक्ति

3. संवर्ग की विवेचना एवं बल-

(**i**) झारखण्ड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा के अंतर्गत वन क्षेत्र पदाधिकारी का पद मूल कोटि का पद होगा, जिसका वेतनमान निम्नवत् होगा-

वेतनमान-9300-34800 रू०, लेवल-6

(**ii**) इस सेवा/संवर्ग का स्वीकृत बल राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित होगा।

4. इस संवर्ग के कुल पदों का 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली, 2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

5. राज्य सरकार कोटिवार सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार, सामान्यतया प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को रिक्तियों की गणना करेगी एवं तदनुसार सीधी भर्ती के लिए आयोग को 28/29 फरवरी तक अधियाचना भेजी जायेगी।

6. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001 एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित नियमावली एवं आरक्षण रोस्टर सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नतियों पर लागू होंगे।

भाग-III

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति
(खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से)

7. (1) वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा पर की जायगी।

(2) नियम 5 के तहत् दी गयी अधियाचना के आधार पर आयोग समय-समय पर उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे इस संवर्ग की कोटिवार रिक्तियों को सीधी नियुक्ति द्वारा भरने के लिए घोषणा करेगा।

(3) आयोग इस प्रयोजनार्थ प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

8. उम्र सीमा, शैक्षणिक अर्हता तथा शारीरिक मापदण्ड।

(1) उम्र सीमा- प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार की आयु, आयोग को प्रेषित अधियाचना के वर्ष में, पहली अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय-समय पर निर्धारित की जाय।

सरकारी सेवकों के लिए, जो इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहेंगे, अधिकतम आयु-सीमा राज्य सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची) के संकल्प के अधीन विनिश्चित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार होगा।

(2) उम्मीदवार की आयु की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि के आधार पर की जायेगी।

(3) शैक्षणिक अर्हताएँ - वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी, जन्तु विज्ञान एवं पशुपालन एवं पशुरोग विज्ञान विषयों में से कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी अथवा कृषि, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिये।

(4) शारीरिक समर्थता परीक्षण के मापदण्ड -

उँचाई (पुरूष)	152.5 से०मी० (अनु० जनजाति)	163 से०मी० (अन्य)
उँचाई (महिला)	145 से०मी० (अनु० जनजाति)	150 से०मी० (अन्य)
सीना (बिना फुलाए) पुरूष	79 से०मी०(पाँच से०मी० फुलाना)	
शारीरिक परीक्षण (पुरूष)	4 घंटे में 25 कि०मी० पैदल चलना	
शारीरिक परीक्षण (महिला)	4 घंटे में 14 कि०मी० पैदल चलना	

9. सरकारी सेवक, जो इस पद पर नियुक्ति-परीक्षा में भाग लेने हेतु इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन पात्र हों अपना आवेदन पत्र, बिहार सरकारी सेवक (पदों के लिए आवेदन) नियम, 1956 के अधीन विहित प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करेंगे।

10. प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे:-

(क) लिखित परीक्षा

(ख) शारीरिक परीक्षण

(ग) चिकित्सकीय परीक्षण

(घ) साक्षात्कार

11. लिखित परीक्षा- झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा, नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये संचालन नियमावली के अनुसार आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का पाठयक्रम समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा के लिये कुल अंक का विनिश्चय आयोग द्वारा किया जायेगा। परीक्षा के परीक्षाफल हेतु न्यूनतम अर्हतांक के सम्बंध में निर्णय आयोग द्वारा, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार लिया जायेगा।

12. शारीरिक परीक्षण - लिखित परीक्षा में सफल पाये जाने वाले उम्मीदवारों के लिए नियम-8 (4) के अनुसार एक शारीरिक परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जायेगा। इस परीक्षण हेतु आयोग, यदि उचित समझे, विभाग की मदद ले सकेगा। आयोग के किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों की एक समिति इस प्रयोजनार्थ गठित की जा सकेगी। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल होता है, तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जायेगा।

13. चिकित्सीय परीक्षण - (1) आयोग सिविल सर्जन, रांची की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड से लिखित परीक्षा में सफल पाये जाने वाले उम्मीदवारों का, आयोग द्वारा विनिश्चित प्रपत्र में चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा। अधीक्षक, रिम्स, रांची की अध्यक्षता में एक अपीलीय मेडिकल बोर्ड गठित किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील किया जा सकेगा।

(2) वन क्षेत्र पदाधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए, सफल एवं चयनित उम्मीदवारों का मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः उपयुक्त होना आवश्यक होगा। उन्हें ऐसे शारीरिक दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए जिसके कारण सेवाकाल में उन्हें अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में किसी तरह की बाधा हो। नियुक्ति के लिये एक आँख वाले व्यक्ति की अनुशंसा नहीं की जायेगी। वर्णान्धता, रतौंधी एवं फ्लैट फुट वाले उम्मीदवार आयोग्य माने जायेंगे।

14. साक्षात्कार का आयोजन इस सेवा के स्तर के अनुसार, आयोग द्वारा अपने विवेक से किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु कुल अंक लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 15 प्रतिशत होगा।

15. आयोग द्वारा सरकार को अनुशंसा - आयोग नियम 12 के अनुसार शारीरिक समर्थता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण तथा साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों की एक अंतिम मेधा सूची, रिक्तियों के अनुसार, सरकार द्वारा विहित आरक्षण कोटिवार तैयार करेगा एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा।

किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिये अग्रणीत की जायेंगी।

16. इस प्रकार अनुशंसित उम्मीदवारों का वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकार द्वारा, उन सभी जाँच-पड़ताल, सत्यापन इत्यादि, जिसे सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाय, के पश्चात निर्गत की जायेगी।

17. (1) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति विभाग में वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर परिवीक्षा पर की जायेगी। उन्हें 2 वर्ष का प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित मान्यता प्राप्त संस्थानों में लेना होगा। वन क्षेत्र पदाधिकारियों की कुल परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि उनके द्वारा सेवा में योगदान देने की तिथि से मानी जाएगी।

(2) अगर परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी की, कार्य अनुपालन के आधार पर मूल्यांकित सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं पाया जायगा एवं/या वह इस नियम के उपनियम (1) के अधीन विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं करता है तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिये (एक बार में छः माह) बढ़ाई जा सकेगी। अगर परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी की कार्य अनुपालन के आधार पर मूल्यांकित सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं हो एवं/या वह निर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता है तो उसे सेवा मुक्त कर दिया जायेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि में वन क्षेत्र पदाधिकारी सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित वेतनमान एवं अन्य भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, परिवीक्षा पर बितायी गयी अवधि सेवा-अवधि मानी जायेगी।

18. अंतिम रूप से चयनित एवं नियुक्त वन क्षेत्र पदाधिकारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विहित बन्ध-पत्र एकरारनामा पर यथा निर्धारित शर्तों को स्वीकारते हुए सहमति व्यक्त करना होगा।

19. प्रथम वेतन वृद्धि हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतन वृद्धि असंचयात्मक रूप से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा। द्वितीय वेतन वृद्धि की स्वीकृति हेतु जनजातीय भाषा की परीक्षा में उतीर्णता अनिवार्य होगी। सेवा संपुष्टि हेतु हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा, जनजातीय भाषा परीक्षा तथा यथाविहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी।

भाग-IV

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

20. वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग के 50 (पचास) प्रतिशत पद विभागीय अधिसूचना सं०-4068 दिनांक- 04.09.2014 द्वारा निर्गत राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

भाग-V

अंतर वरीयता

21. ऐसे मामले में जहां संवर्ग में नियुक्ति, एक ही पंचांग वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा की गयी हो वहां संवर्ग में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य से वरीय होगा।

22. इस नियमावली के भाग-**III** में अधिकथित खुली प्रतियोगिता के माध्यम से एक ही संव्यवहार में नियुक्त सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में प्राप्तांक एवं प्रशिक्षण में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर विनिश्चित की जायगी। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के प्राप्तांक के लिए पचहत्तर प्रतिशत तथा प्रशिक्षण के लिए पचीस प्रतिशत अधिमानता होगी। कुल प्राप्तांक की समानता की दशा में प्रशिक्षण में प्राप्तांक पर वरीयता विनिश्चित की जायेगी।

23. प्रोन्नति द्वारा संवर्ग में एक ही संव्यवहार में नियुक्त सदस्यों की आपसी वरीयता, वनपाल सम्वर्ग में उनकी आपसी वरीयता के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

भाग-VI

वेतन एवं भत्ता आदि

24. वन क्षेत्र पदाधिकारी को वह वेतन एवं भत्ता भुगतेय होगा जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, उनके लिए विनिश्चित किया जाय।

भाग- VII

प्रोन्नति

25. **(i)** वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	प्रोन्नति का पद सोपान	पदों का प्रतिशत
1	वन क्षेत्र पदाधिकारी	9300-34800 रू०, लेवल-6	मूल कोटि	स्वीकृत बल का 60 प्रतिशत
2	वरिष्ठ श्रेणी वन क्षेत्र पदाधिकारी	9300-34800 रू०, लेवल-8	प्रथम प्रोन्नति	स्वीकृत बल का 40 प्रतिशत
3	सहायक वन संरक्षक	9300-34800 रू०, लेवल-9	द्वितीय प्रोन्नति	सहायक वन संरक्षक संवर्ग के स्वीकृत बल का 50 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रोन्नति के पदों हेतु कालावधि वही होगी जो उक्त वेतनमान के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।

(ii) वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग की प्रोन्नति श्रृंखला के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य	-	अध्यक्ष
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, रांची	-	सदस्य
वन क्षेत्र पदाधिकारी की स्थापना के वरीय प्रभारी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	-	सदस्य-सचिव
मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित)	-	सदस्य
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के नामित उप सचिव से अन्यून स्तर के प्रतिनिधि (अनु० जाति/जनजाति के सदस्य)	-	सदस्य

भाग- VIII
प्रकीर्ण

26. अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील - झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016, (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान वन क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग के अनुशासन, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील संबंधी मामलों में लागू होंगे।
27. इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुबंधित सेवा शर्तें झारखण्ड सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होंगी।
28. इस नियमावली में से किसी नियम के निर्वचन में कोई संदेह की दशा में उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
29. इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
30. निरसन एवं व्यावृति - (1) इस संदर्भ में वर्तमान नियमों/विनियमों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

परन्तु इस निरसन के होते हुए भी वर्तमान नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानों यह नियममावली उस दिन प्रवृत थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी।

साथ ही, वैसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जो इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से पूर्व नियुक्त हुए हों और इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि को सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों, को पुरानी नियमावली के अनुसार ही सीधे सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नति दी जायेगी।

(2) उस निरसन के होते हुए भी इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन तथा उस हद तक जब वे इस नियमावली के प्रावधानों के विरूद्ध न हों, उसके अधीन प्रोद्भूत अथवा प्रोद्भूत माना गया कोई अधिकार एवं उनके अधीन उपगत दायित्व प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

इन्दु शेखर चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 6 -- 300